

—:: न्यायालय—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शहडोल (म०प्र०) ::—
:: नवीन कार्य विभाजन आदेश—2026 ::

क्रमांक /**28**..... / सी.जे.एम. / 2026

शहडोल दिनांक **20 / 04 / 2026**

मैं राजेन्द्र सिंह सिंगार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शहडोल म०प्र० जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य उचित रूप से कार्य वितरण/सम्पादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्य विभाजन आदेशों को अतिष्ठित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-12(1) एवं 13(2) एवं म०प्र० नियम व आदेश आपराधिक के नियम 31 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शहडोल में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के लिए **नवीन कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2026** जारी किया जाता है जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शहडोल (म०प्र०) के अनुमोदन दिनांक **20.04.2026** से आगामी आदेश पर्यन्त तक निरन्तर प्रभावशील रहेगा:-

क्र	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	सौंपा गया आपराधिक कार्य
1.	2.	3.	4.
1	श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल म०प्र०	संपूर्ण जिला शहडोल	1 अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शहडोल द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र। 2 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां। 3 तेजाब फेंककर क्षति या उपहति करने विषयक आपराधिक प्रकरण। 4 श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र। 5 जिले के समस्त थानों से संबंधित ई.आर.(खारिजी) प्रकरण। 6 सिनेमाटोग्राफ एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रकरण। 7 केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट 1989 8 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 9 सरफेसी अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 10 कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत वह प्रकरण

			11	जिनमें अर्थदण्ड की राशि अधिकार क्षेत्र की सीमा से अधिक हो।
			12	अन्य ऐसे समस्त मामले जो विशिष्टतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य हो या जिनमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई किये जाने का निर्देश हो और जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।
			13	सरफेसी अधिनियम के तहत प्रस्तुत समस्त मामले।
			14	साइबर सेल से संबंधित समस्त प्रकरण एवं कार्यवाही।
			15	धारा 410 द0प्र0स0/450 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र
			16	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अंतरित प्रकरण
	संपूर्ण तहसील सोहागपुर, गोहपारु वृत्त 'ए' एवं 'बी' शहडोल		17	दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।
			18	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद (मजिस्ट्रेट ट्रायल प्रकरण)
			19	रेलवे अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय (रेलवे अधिनियम) के अतिरिक्त प्रकरण।
			20	आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण।
			21	नापतौल विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र।
			22	वनपरिक्षेत्र:—शहडोल, गोहपारु एवं खन्नौधी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण।
			23	वनपरिक्षेत्र जैतपुर से उत्पन्न होने वाले मात्र वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं जैव विविधता अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
			24	खान एवं खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।
			25	उक्त क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले प्रकरण जो कि जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित प्रकरण के साथ-साथ तहसील जयसिंहनगर

			के क्षेत्राधिकार कार्य संपादित किया जावेगा।
		आरक्षी केन्द्र:- 1-कोतवाली, 2-जी.आर.पी. 3-यातायात	26 विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। 27 आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 28 राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 29 उपरोक्त थानों के समस्त एफ.आर. (खात्मा) प्रकरण। 30 उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 31 उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 32 तहसील सोहागपुर क्षेत्रांतर्गत से उत्पन्न होने वाले म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 33 सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण।
2	श्री सीता शरण यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शहडोल म0प्र0 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय	आरक्षी केन्द्र:- 1-गोहपारू	1 विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों, दूरेलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध आदि के प्रकरणों को छोड़कर सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं. /बी.एन.एस. 2023 के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2 विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। 3 उक्त थाना क्षेत्र के समस्त एफ.आर. प्रकरण। 4 उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न परिवाद पत्र प्रकरण। 5 उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 6 उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 7 उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 8 उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण कल्याण अधि0 से संबंधित

(4)

3	श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शहडोल म0प्र0	ग्राम न्यायालय— सिंहपुर एवं गोहपारू		प्रकरण।
			9	उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र।
			10	उक्त थानांतर्गत के अतिरिक्त आरक्षी केन्द्र कोतवाली के अंतर्गत होने वाले कस्टोडियल डेथ (मृत्यु जांच) की सभी आवश्यक कार्यवाही एवं जांच।
			11	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण।
		आरक्षी केन्द्र— 1—सिंहपुर	12	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत जनपद पंचायत गोहपारू एवं सिंहपुर में स्थित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न ऐसे मामले जिनको सुनने का क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय को प्राप्त है।
			1	विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों, दारिलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध आदि के प्रकरणों को छोड़कर सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण।
			2	विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।
			3	उक्त थाना क्षेत्र के समस्त एफ.आर. प्रकरण।
			4	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न परिवाद पत्र प्रकरण।
			5	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
			6	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
			7	उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			8	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण कल्याण अधि0 से संबंधित प्रकरण।
			9	उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र।
			10	उक्त थानांतर्गत होने वाली कस्टोडियल डेथ (मृत्यु जांच) की सभी आवश्यक कार्यवाही एवं जांच।

			11	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण।
4	सुश्री अदिति कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	आरक्षी केन्द्र— सोहागपुर	1	विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों, दारिद्र्य हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध आदि के प्रकरणों को छोड़कर सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण।
			2	विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।
			3	उक्त थाना क्षेत्र के समस्त एफ.आर. प्रकरण।
			4	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न परिवाद पत्र प्रकरण।
			5	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
			6	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
			7	उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			8	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण कल्याण अधि० से संबंधित प्रकरण।
			9	उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र।
			10	उक्त थानान्तर्गत होने वाली कस्टोडियल डेथ (मृत्यु जांच) की सभी आवश्यक कार्यवाही एवं जांच।
5	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0/ प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड शहडोल म0प्र0	किशोर न्यायबोर्ड जिला शहडोल	1	जिले के समस्त थानों से उद्भूत किशोरों से संबंधित प्रकरण
			2	समस्त थाना क्षेत्रों के किशोरों से संबंधित एफ.आर. प्रकरण।
			3	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शहडोल एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण
			4	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण।
6	श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	आरक्षी केन्द्र— महिला थाना		आरक्षी केन्द्र:—कोतवाली, सोहागपुर, गोहपारू, सिंहपुर, महिला थाना, अजाक, यातायात, जी०आर०पी० के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले महिलाओं के

			1	विरुद्ध घटित अपराध से संबंधित प्रकरण, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत उत्पन्न मामलें, दारैलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किये जाते हैं, के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरण। (माननीय कुटुम्ब न्यायालय शहडोल के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण को छोड़कर)
			2	उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत अन्य सभी दाण्डिक एवं आपराधिक प्रकरण तथा भां.द.वि./बी.एन.एस. 2023 के अपराधों से संबंधित प्रकरण।
			3	विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।
			4	उक्त थाना क्षेत्र के समस्त एफ.आर. प्रकरण।
			5	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न परिवाद पत्र प्रकरण।
			6	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
			7	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
			8	उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			9	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण कल्याण अधि० से संबंधित प्रकरण।
			10	उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र।
			11	उक्त थानांतर्गत होने वाली कस्टोडियल डेथ (मृत्यु जांच) की सभी आवश्यक कार्यवाही एवं जांच।
			12	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण।
7	श्री अरविन्द मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म०प्र०		1	थाना कोतवाली से उद्भूत होने वाले पुलिस रिपोर्ट से भिन्न समस्त परिवाद पत्र।
			2	थाना कोतवाली के अंतर्गत उद्भूत समस्त धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरण
			3	थाना कोतवाली थानांतर्गत होने वाली कस्टोडियल

			डेथ (मृत्यु जांच) की सभी आवश्यक कार्यवाही एवं जांच।
		4	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण।
8	श्रीमती अभिसारिका माहूने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	आरक्षी केन्द्र— अजाक	1 विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों, दरेलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध आदि के प्रकरणों को छोड़कर सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण।
		2	विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।
		3	उक्त थाना क्षेत्र के समस्त एफ.आर. प्रकरण।
		4	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न परिवाद पत्र प्रकरण।
		5	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
		6	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
		7	उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
		8	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण कल्याण अधि० से संबंधित प्रकरण।
		9	उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 पराक्राम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र।
		10	उक्त थानांतर्गत होने वाली कस्टोडियल डेथ (मृत्यु जांच) की सभी आवश्यक कार्यवाही एवं जांच।
		11	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण।
		12	आरक्षी केन्द्र:— <u>जैतपुर</u> के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध से संबंधित प्रकरण, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत उत्पन्न मामलें, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किये जाते हैं, के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरण। (माननीय कुटुम्ब न्यायालय शहडोल के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण को छोड़कर)

9	श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	आरक्षी केन्द्र:- 1:-बुढ़ार 2:-धनपुरी	1 विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों, दरेलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध आदि के प्रकरणों को छोड़कर सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2 विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। 3 उक्त थाना क्षेत्र के समस्त एफ.आर. प्रकरण। 4 उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न परिवाद पत्र प्रकरण। 5 उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 6 उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 7 उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 8 उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण कल्याण अधि० से संबंधित प्रकरण। 9 उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र। 10 उक्त थानांतर्गत होने वाली कस्टोडियल डेथ (मृत्यु जांच) की सभी आवश्यक कार्यवाही एवं जांच। 11 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण। 12 तहसील बुढ़ार क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले म0प्र0 नगर निगम/नगर पालिका अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 13 संपूर्ण बुढ़ार तहसील के थाना क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एक्ट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण। 14 वनपरिक्षेत्र बुढ़ार व केशवाही द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं परिवाद। 15 खान एवं खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 16 तहसील बुढ़ार व जैतपुर के क्षेत्राधिकार जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण
---	--	--	--

			(निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित प्रकरण।
10	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0		1 आरक्षी केन्द्र:-बुढ़ार, धनपुरी, अमलाई व खैरहा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध से संबंधित प्रकरण, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत उत्पन्न मामलों, दरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किये जाते हैं, के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरण।(माननीय कुटुम्ब न्यायालय शहडोल के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण को छोड़कर) 2 विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। 3 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण।
11	श्री लक्ष्मण रोहित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार एवं शृंखला न्यायालय जैतपुर जिला शहडोल म0प्र0	आरक्षी केन्द्र:- 1-अमलाई 2-खैरहा 3-जैतपुर	1 विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों, दरेलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध आदि के प्रकरणों को छोड़कर सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं. /बी.एन.एस. 2023 के अपराधों से संबंधित प्रकरण। 2 विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही। 3 उक्त थाना क्षेत्र के समस्त एफ.आर. प्रकरण। 4 उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न परिवाद पत्र प्रकरण। 5 उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 6 उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 7 उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 8 उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण कल्याण अधि0 से संबंधित प्रकरण। 9 उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र।

12	सुश्री लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0	संपूर्ण तहसील जैतपुर	10	उक्त थानांतर्गत होने वाली कस्टोडियल डेथ (मृत्यु जांच) की सभी आवश्यक कार्यवाही एवं जांच।
			11	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण।
			12	वनपरिक्षेत्र जैतपुर (वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं जैव विविधता से संबंधित प्रकरण को छोड़कर) द्वारा प्रस्तुत समस्त परिवाद एवं प्रकरण।
		आरक्षी केन्द्र:- 1-जयसिंहनगर 2-सीधी	1	उक्त थाना क्षेत्रांतर्गत अन्य सभी दाण्डिक एवं आपराधिक प्रकरण तथा भां.द.वि../बी.एन.एस. 2023 के अपराधों से संबंधित प्रकरण।
			2	विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।
			3	उक्त थाना क्षेत्र के समस्त एफ.आर. प्रकरण।
			4	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न परिवाद पत्र प्रकरण।
			5	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
			6	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
			7	उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			8	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण कल्याण अधि० से संबंधित प्रकरण।
			9	उक्त थानांतर्गत होने वाली कस्टोडियल डेथ (मृत्यु जांच) की सभी आवश्यक कार्यवाही एवं जांच।
			10	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण।
		संपूर्ण तहसील जयसिंहनगर	11	तहसील जयसिंहनगर क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले म0प्र0 नगर निगम/नगरपालिका अधिनियम से संबंधित समस्त परिवाद एवं प्रकरण।
			12	संपूर्ण जयसिंहनगर तहसील के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एक्ट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण।
			13	वनपरिक्षेत्र जयसिंहनगर व अमझोर द्वारा प्रस्तुत समस्त परिवाद एवं प्रकरण।

			14	खान एवं खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।
		संपूर्ण तहसील जयसिंहनगर	15	आरक्षी केन्द्र "जयसिंहनगर एवं सीधी" के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध से संबंधित प्रकरण, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत उत्पन्न मामलें, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किये जाते हैं, के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरण। (माननीय कुटुम्ब न्यायालय शहडोल के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण को छोड़कर)
13	श्री नानसिंह ताहेड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	आरक्षी केन्द्र:- ब्यौहारी	1	विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों, घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध आदि के प्रकरणों को छोड़कर सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण।
			2	विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।
			3	उक्त थाना क्षेत्र के समस्त एफ.आर. प्रकरण।
			4	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न परिवाद पत्र प्रकरण।
			5	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
			6	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
			7	उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			8	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण कल्याण अधि0 से संबंधित प्रकरण।
			9	उक्त थानांतर्गत उत्पन्न होने वाले उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र।
			10	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण।
		संपूर्ण तहसील		तहसील ब्यौहारी क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले म0प्र0

		ब्यौहारी	11	नगर निगम/नगरपालिका अधिनियम से संबंधित समस्त परिवाद एवं प्रकरण।
			12	संपूर्ण ब्यौहारी तहसील के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एक्ट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण।
			13	वनपरिक्षेत्र ब्यौहारी, पूर्वी-ब्यौहारी, पश्चिमी-ब्यौहारी व गोदावल व अन्य द्वारा प्रस्तुत समस्त परिवाद एवं प्रकरण।
			14	उक्त क्षेत्रांतर्गत खान एवं खनिज अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।
			15	तहसील ब्यौहारी के क्षेत्राधिकार जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित प्रकरण।
14	श्री अविनेश चौबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	आरक्षी केन्द्र:- देवलौद	1	विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों, दारिलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध आदि के प्रकरणों को छोड़कर सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण।
			2	विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।
			3	उक्त थाना क्षेत्र के समस्त एफ.आर. प्रकरण।
			4	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न परिवाद पत्र प्रकरण।
			5	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
			6	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
			7	उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			8	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण कल्याण अधि0 से संबंधित प्रकरण।
			9	उक्त थानांतर्गत उत्पन्न होने वाले उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र।

			10	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण।
15	श्री ओमप्रकाश परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	आरक्षी केन्द्र:- पपौध	1	उक्त थाना क्षेत्र के विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य वर्णित महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों, घरेलू हिंसा एवं दहेज प्रतिषेध आदि के प्रकरणों को छोड़कर सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं. के अपराधों से संबंधित प्रकरण।
			2	विविध आपराधिक प्रकरण एवं उनसे संबंधित कार्यवाही।
			3	उक्त थाना क्षेत्र के समस्त एफ.आर. प्रकरण।
			4	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न परिवाद पत्र प्रकरण।
			5	उक्त थानान्तर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
			6	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
			7	उक्त थाना क्षेत्र से संबंधित राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			8	उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता-पिता, वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण कल्याण अधि० से संबंधित प्रकरण।
			9	उक्त थानांतर्गत उत्पन्न होने वाले उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य विलेख अधिनियम के परिवाद पत्र।
			10	उक्त थानांतर्गत होने वाली कस्टोडियल डेथ (मृत्यु जांच) की सभी आवश्यक कार्यवाही एवं जांच।
			11	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित प्रकरण।
		संपूर्ण तहसील- ब्यौहारी	12	आरक्षी केन्द्र "ब्यौहारी, देवलौद एवं पपौध" के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध से संबंधित प्रकरण, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत उत्पन्न मामलें, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किये जाते हैं, के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरण। (माननीय कुटुम्ब न्यायालय शहडोल के

			क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण को छोड़कर)
--	--	--	--

टीप:- पीठासीन अधिकारी, श्रीमती नूतन रावते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0 द्वारा मुख्यालय शहडोल में पदग्रहण दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा, तब तक उक्त पीठासीन अधिकारी का संपूर्ण कार्य सुश्री, अदिति कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल द्वारा किया जावेगा।

--:कार्यप्रभार:--

2:- प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से कार्य विभाजन पत्रक प्रभावशील दिनांक से शहडोल जिले में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थिति/रिक्त न्यायालय रहने की स्थिति में उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य उनके सम्मुख दर्शाये गये उपस्थित न्यायाधीशगण द्वारा आवश्यक आपराधिक कार्य घटते अनुक्रम में उपस्थित (पदस्थ) मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रभार देखेंगे:-

क्र.	न्यायालय का नाम	न्यायालय जो आवश्यक कार्य घटते अनुक्रम में उपलब्धता (Downward on availability)अनुसार करेंगे।
1	राजेन्द्र सिंह सिंगार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल म0प्र0	1 रुपेन्द्र सिंह मण्डावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		2 श्री सीता शरण यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		3 सुश्री अदिति कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		4 श्रीमती नूतन रावते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		5 श्री अरविन्द मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		6 श्रीमती प्रीति सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		7 श्रीमती अभिसारिका माहूने, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
2	श्री रुपेन्द्र सिंह मण्डावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	1 श्री सीता शरण यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		2 सुश्री अदिति कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		3 श्रीमती नूतन रावते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		4 श्री अरविन्द मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		5 श्रीमती प्रीति सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		6 श्रीमती अभिसारिका माहूने, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		7 श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल म0प्र0
3	श्री सीता शरण यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	1 सुश्री अदिति कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		2 श्री रुपेन्द्र सिंह मण्डावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		3 श्रीमती नूतन रावते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		4 श्री अरविन्द मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
		5 श्रीमती प्रीति सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

—: (धारा 52—क सहपठित धारा 76) :—

स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की अधिसूचना भाग—दो खण्ड—3(i) नई दिल्ली 23 दिसम्बर 2022 में हुये संशोधन के परिणामस्वरूप धारा 52—के सहपठित धारा 76 केन्द्र स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ के अंतर्गत नमूना लिये जाने हेतु प्रभार चार्ट निम्नानुसार हैं:—

क्र	संबंधित थाना का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	2	3	4	5
मुख्यालय—शहडोल				
1	कोतवाली	श्री सीता शरण यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्री रूपेन्द्र सिंह मण्डावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
2	जी.आर.पी.	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्री अरविन्द मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
3	सोहागपुर	श्री अरविन्द मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती अभिसारिका माहूने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
4	गोहपारू	श्री रूपेन्द्र सिंह मण्डावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्री अरविन्द मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
5	सिंहपुर एवं यातायात	श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्री अरविन्द मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
6	अजाक	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्री अरविन्द मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
7	किशोर न्यायबोर्ड शहडोल	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती अभिसारिका माहूने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
तहसील बुढ़ार				
8	बुढ़ार एवं उससे संबंधित चौकियां	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	श्री लक्ष्मण रोहित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	श्री सीता शरण यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
9	धनपुरी	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	श्री लक्ष्मण रोहित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

		बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	शहडोल म0प्र0
10	खैरहा	श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र00
11	अमलाई	श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	श्री अरविन्द मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
12	जैतपुर एवं उससे संबंधित चौकियां	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार जिला शहडोल म0प्र0	श्रीमती अभिसारिका माहूने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
तहसील जयसिंहनगर				
13	जयसिंहनगर	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्री अरविन्द मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्री सीता शरण यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
14	सीधी	श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्री रूपेन्द्र सिंह मण्डावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्री अरविन्द मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
ब्यौहारी				
15	ब्यौहारी	श्री अविनेश चौबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	श्री ओमप्रकाश परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	सुश्री लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0
16	पपौध	श्री नानसिंह ताहेड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	श्री अविनेश चौबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	सुश्री लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर जिला शहडोल
17	देवलौद	श्री ओमप्रकाश परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	श्री नानसिंह ताहेड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी जिला शहडोल म0प्र0	सुश्री लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0

नोट:-

1:- इस सूची के अतिरिक्त किसी स्थिति में यदि आवेदन प्रस्तुत किया जाता है अथवा किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि तो ऐसे मामले उचित आदेश हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जायेंगे।

2:- संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति की दशा में कमर्शियल एवं इनटरमेडियेट मात्रा का नमूना धारा 52(क), सहपठित धारा 76 के अंतर्गत कार्यवाही स्वयं के न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। स्वयं के न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों को छोड़कर।

(धारा-164 द.प्र.सं/183 बी.एन.एस.एस.)

:: धारा-164 द.प्र.सं/183 बी.एन.एस.एस के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियां ::

:: अनुसूची "ब-(अ)" ::

मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित, कमांक 21 भोपाल शुक्रवार दिनांक 26 मई 2023 के पालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 477 साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एतद्वारा मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन किया गया है। उक्त नियम तथा आदेश में अध्याय चार में नियम 87 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किये गये। धारा 164/183 के अधीन (2) जहां कथन अभियोक्त्री का है, वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164/183 बी0एन0एस0एस0 की उप-धारा (5-क) के अधीन **विशेषतः** महिला न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

नोट:- उर्पयुक्तानुसार जिला शहडोल पर अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में धारा 164 द0प्र0स0/183 बी0एन0एस0एस0 के तहत कथन जाने हेतु अनुसूची "ब-(अ)" अंकित कमबद्धतानुसार पदस्थ अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

नोट:- महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम अपराधों में धारा 164 द0प्र0स0/183 बी0एन0एस0एस0 अंकित किये जाने हेतु कॉलम नंबर 02 में दर्शित आरक्षी केन्द्र के निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है:-

क	आरक्षी केन्द्र	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1	2	3	4	5	6
मुख्यालय शहडोल					
1	कोतवाली	श्रीमती अभिसारिका माहूने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार
2	सोहागपुर	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती अभिसारिका माहूने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयसिंहनगर
3	गोहपारू	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती अभिसारिका माहूने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयसिंहनगर
4	सिंहपुर	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती अभिसारिका माहूने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार
5	महिला थाना	श्रीमती अभिसारिका माहूने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री दिव्या रामटेके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार
6	जी.आर.पी.	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती अभिसारिका माहूने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयसिंहनगर
7	अ.जा.क.	श्रीमती प्रीति सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्रीमती अभिसारिका माहूने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयसिंहनगर
तहसील बुढ़ार					

[illegible]

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम अपराधों की धारा 164 द0प्र0स0/183 बी0एन0एस0एस0 के कथन को छोड़कर शेष अपराधों में धारा164 द0प्र0स0/183 बी0एन0एस0एस0 के अंकित किये जाने हेतु कॉलम नंबर 02 में दर्शित आरक्षी केन्द्र के निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है:-

अनुसूची क्रमांक-2(अ)

क	संबंधित थाना	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
---	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------

[illegible]

14	सीधी	श्री रूपेन्द्र सिंह मण्डावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्री सीता शरण यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	श्री अरविन्द मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0	सुश्री अदिति कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
तहसील ब्यौहारी					
15	ब्यौहारी	श्री अविनेश चौबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी	श्री ओमप्रकाश परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी	सुश्री लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयसिंहनगर	श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
16	पपौध	श्री नानसिंह ताहेड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी	श्री अविनेश चौबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी	सुश्री लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयसिंहनगर	श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0
17	देवलौद	श्री ओमप्रकाश परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी	श्री नानसिंह ताहेड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यौहारी	सुश्री लघुता मरकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयसिंहनगर	श्रीमती अभिसारिका माहूने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल म0प्र0

नोट :- अनुसूची क0 1 एवं 2(अ) के धारा 164(1) द0प्र0स0/183 बी.एन.एस.एस के प्रावधान प्रावधान अनुसार कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामलें में अधिकारिता हो या न हो, किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। अतः उपरोक्त अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में प्रथमतः मुख्यालय पर उपलब्ध ऐसे प्रभारी मजिस्ट्रेट जिन्हें उस मामलें की विचारण की अधिकारिता नहीं है वह धारा 164 द0प्र0स0/183 बी.एन.एस.एस के आवेदन का निराकरण करेंगे तथा यदि मामला उन्ही के न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उस थाना क्षेत्र के निकटतम स्थान पर पदस्थ प्रभार अनुसार अंकित उपलब्ध अन्य मजिस्ट्रेट उक्त प्रकृति के आवेदन का निराकरण करेंगे।

उपरोक्त सूची अनुसार धारा 164 दं.प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभारानुसार मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे। धारा 164 दं.प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र का मामला कथन हेतु पेश हो तो क्रमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।

टीप एवं आवश्यक निर्देश :-

- (1) इस कार्य विभाजन आदेश से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
- (2) ग्राम न्यायालय का पद रिक्त होने पर संबंधित ग्राम न्यायालय के निकटतम न्यायालय में ग्राम अधिकारी द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।
- (3) उपरोक्त कार्यविभाजन पत्रक में किसी उपबंध के होते हुए भी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल को संपूर्ण जिले के किसी भी थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले अथवा किसी भी विभाग के क्षेत्राधिकार के मूल दाण्डिक प्रकरण एवं विविध दाण्डिक प्रकरण अथवा कार्यवाहियों में संज्ञान विचारण एवं जांच का क्षेत्राधिकार होगा।
- (4) आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य पुलिस रिमाण्ड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य धारा 436

- एवं 437 द.प्र.सं./478 एवं 480 बी0एन0एस0एस0 2023 के तहत जमानत आवेदन एवं धारा 451, 457 द.प्र.सं./497, 503 बी0एन0एस0एस0 2023 के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन, हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं अतिआवश्यक साक्षी जो अत्यधिक दूरी से उपस्थित हुआ हो तथा उसका पुनः सरलता से उपस्थित होना सम्भव न हो तो उसका परीक्षण करना आदि है। आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करता है तो जो मजिस्ट्रेट समरी पावर से सशक्त हैं वह ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।
- (5) इस कार्य विभाजन पत्रक के साथ सत्र खण्ड शहडोल के न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की अनुपलब्धता पर संबंधित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट आपराधिक आवश्यक कार्य को सम्पादित करेंगे तथा संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार मजिस्ट्रेट धारा-164 दं.प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस 2023 अंतर्गत कथन लिपिबद्ध करेंगे।
 - (6) किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश के दौरान उनके न्यायालय के अण्डर-ट्रायल अथवा 05 वर्ष अथवा अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित अनुसंधानकर्ता अधिकारी/चिकित्सक साक्षी या वृद्ध असमर्थ ऐसे साक्षी या वृद्ध, बीमार या अत्यधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश न मिलने या अत्यंत कष्टकारी, व्ययकारी या असुविधाजनक होने की स्थिति में ऐसे साक्षियों की साक्ष्य जिनकी पुनः उपस्थिति कठिन है, की साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित की जावेगी तथा ऐसे प्रकरण केवल उक्त कार्य हेतु इंचार्ज मजिस्ट्रेट को विधिवत् अंतरित किये गये समझे जाएंगे।
 - (7) समस्त मजिस्ट्रेट यदि धारा 167(2) द.प्र.सं./187(2) बी.एन.एस.एस के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करते हैं तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल की ओर आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।
 - (8) माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेंगे एवं संबंधित रिमाण्ड प्रपत्र आगामी कार्य दिवस में आवश्यक रूप से संबंधित न्यायालयों में प्रेषित करेंगे।
 - (9) जिला शहडोल मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में द0प्र0स0 1973 की धारा 164/183 बी.एन.एस.एस 2023 के अधीन संस्वीकृतियां एवं कथन संबंधित न्यायाधीशगण द्वारा लिपिबद्ध किये गये हैं और कार्यविभाजन पत्रक अनुसार उनके संबंधित थानों को परिवर्तित कर दिये जाने पर संबंधित थानों से प्रस्तुत अभियोग पत्र में धारा 164 द0प्र0स0/183 बी.एन.एस.एस 2023 के कथन संलग्न है, जो कि संबंधित न्यायाधीशगण द्वारा लिपिबद्ध किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरण जिसमें धारा 164 द0प्र0स0/183 बी.एन.एस.एस 2023 के कथन संलग्न है और कथन संबंधित न्यायाधीशगण द्वारा अंकित किये गये हैं, तब प्रकरण एवं अभियोग पत्र उनके कार्यविभाजन पत्रक के प्रभार अनुसार संबंधित न्यायाधीश विचारण की कार्यवाही की जा सकेगी और सीधे अभियोग पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
 - (10) आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर उक्त मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावे।
 - (11) इस कार्य विभाजन पत्रक के साथ ग्राम न्यायाधिकारी के पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्राम

- न्यायालय जाने पर उनकी अनुपलब्धता पर उनके न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य का निपटारा उनसे संबंधित प्रभारी मजिस्ट्रेट करेंगे।
- (12) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल संपूर्ण जिले में चलित न्यायालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल को सूचना देकर एवं समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्हें समरी पावर प्राप्त हैं, वह अपने संबंधित आरक्षी केंद्रों की सीमा क्षेत्र में माह में एक बार आवश्यक रूप से न्यायालय का नियमित कार्य प्रभावित किए बिना नियमानुसार चलित न्यायालय लगा सकेंगे जिसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल को प्रेषित करेंगे। उक्त चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणों के लिये लगाई जावे।
- (13) लंबित रिमांड पेपर्स से संबंधित अभियोग पत्र उन्हीं न्यायालयों में पेश किये जायेंगे जिनके पास उपरोक्त कार्य विभाजन पत्रक से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकार दिया गया है, जब तक अलग से आदेश न हो तथा ऐसे रिमाण्ड पेपर्स संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेंगे।
- (14) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी दूरभाष आदि के माध्यम से देंगे तथा अतिआवश्यक होने पर ई-मेल फ़ैक्स आदि से आवेदन प्रेषित करेंगे।
- (15) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण इस कार्य विभाजन पत्रक से प्रभावित नहीं रहेंगे।
- (16) धारा-340 द.प्र.सं./79 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त शहडोल जिले के परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- (17) द.प्र.सं. की धारा 176(1-क)/196 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत मृत्यु के कारण की जांच जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या जिसके द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा में अपराध किया गया है या जिसको इस हेतु अधिकृत किया जाता है, उस मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल द्वारा अधिकृत मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जावेगी।
- (18) माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी न्यायालय का कोई भी प्रस्तुत प्रकरण, परिवाद व आवेदन किसी भी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में अंतरित या सुपुर्द किये जा सकेंगे।
- (19) इस कार्य विभाजन पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नहीं पड़ेगा जो संबंधित न्यायालय में पूर्व से लंबित हैं एवं जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम है।
- (20) उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल जिले में स्थित किसी भी आरक्षी केंद्र अथवा अन्य विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग पत्रों व परिवाद पत्रों का संज्ञान एवं कार्यवाही करने में सक्षम होंगे।
- (21) माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनवरी 2006 से आपराधिक प्रकरणों का केन्द्रीय पंजीयन लागू होने से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किए जावेंगे तत्पश्चात वे पंजीकृत करने हेतु केन्द्रीय पंजीयक के पास भिजवाएंगे जहां से पंजीयन उपरांत पुनः प्रकरण संबंधित न्यायालय को भेजा जावेगा।
- (22) संबंधित थानों के न्यायाधीशगण के अवकाश/प्रशिक्षण/स्थानांतरण होने पर संबंधित थाना द्वारा अंतिम प्रतिवेदन एवं नवीन रिमाण्ड कार्यविभाजन पत्रक अनुसार करेंगे।
- (23) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित अपराध मूलतः

जिस आरक्षी केन्द्र पर पंजीबद्ध हुआ है उस आरक्षी केन्द्र के संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा रिमाण्ड की कार्यवाही की जा सकेगी भले ही मामले का अनुसंधान पुलिस थाना अजाक के द्वारा किया गया हो।

- (24) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की अधिसूचना भाग-दो खण्ड-3(i) नई दिल्ली 23 दिसम्बर 2022 में हुये संशोधन के परिणामस्वरूप धारा 52-के सहपठित धारा 76 केन्द्र स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अंतर्गत नमूना लिये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण प्रभावी कार्यविभाजन/वितरण आदेश अनुसार करेंगे।
- (25) माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर जारी अधिसूचना के अनुसार जिला शहडोल क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के वह सभी प्रकरण जो उक्त अधिसूचना के अनुसार ग्राम न्यायालयों के द्वारा विचारण योग्य हैं, वे सभी प्रकरण ग्राम न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (26) ग्राम न्यायालय अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्यरत ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के प्रकरण संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जाएंगे।
- (27) न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकारिता में मामले के निराकरण हेतु पूर्व से दूर प्रोग्राम तैयार जानकारी माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शहडोल को देंगे।
- (28) किसी भी न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य जो किसी न्यायालय के पीठासीन के अवकाश पर रहने या न्यायालय रिक्त होने की दशा में उस न्यायालय के प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा, उसमें अभियोग पत्र प्राप्ति सुर्पुदगी आवेदनों का निराकरण, जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण, समाविष्ट होगा।
- (29) प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड के अवकाश पर रहने पर किशोर न्यायबोर्ड के सदस्यों द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा उनके अनुपस्थित रहने पर कार्यविभाजन पत्रक अनुसार कार्य संपादित किया जावेगा।
- (30) विचारणीय प्रकरणों में कोषालय में सुरक्षित रखी मूल्यवान संपत्ति का म0प्र0 नियम एवं आदेश (आपराधिक) के अधीन विधिक समयावधि में वेरीफिकेशन संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाये।
- (31) धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामलों में वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारंट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर धारा 138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत संबंधित आरक्षी केन्द्र द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे एवं उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। **(थाना कोतवाली जिला शहडोल को छोड़कर)**
- (32) समस्त दाण्डिक प्रकरण व धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामलों में (थाना कोतवाली जिला शहडोल से संबंधित) एवं वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारंट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट **श्री अरविन्द मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल म0प्र0** के समक्ष प्रस्तुत होंगे एवं उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जायेगा।
- (33) यदि स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाली न्यायालय रिक्त नहीं है, तो ऐसी दशा में स्थायी गिरफ्तारी वारंट के पालन में अभियुक्त को उसी न्यायालय में उपस्थित किया जायेगा जिस न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो।
- (34) माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय एवं वरिष्ठतम न्यायालयों से प्राप्त आदेश/निर्णय से संबंधित कार्यवाही तथा

- निराकृत किसी अन्य प्रकरण से संबंधित विविध आवेदन, अर्थदण्ड/प्रतिकर/अन्य राशि जमा करने, अर्थदण्ड/प्रतिकर/अन्य राशि की वापसी आदि के आवेदन प्रस्तुत होने की स्थिति में, यदि प्रकरण से संबंधित न्यायालय या उसका पद उत्तरवर्ती न्यायालय अस्तित्व में है तो कार्यवाही/आवेदन उस न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे। अन्य स्थितियों में ऐसी कार्यवाही/आवेदन जिस पुलिस थाना से संबंधित है, उसी पुलिस थाने से संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।
- (35) 05 वर्ष से अधिक लम्बनकाल के प्रकरण तथा ऐसे प्रकरण जिनमें साक्षी दूरस्थ स्थान से आया हो, सेवानिवृत्त हो, लोक सेवक हो और संबंधित न्यायालय अवकाश पर हो तब कार्य विभाजन अनुसार अधिकृत मजिस्ट्रेट साक्ष्य लेंगे और उक्त साक्ष्य उपरांत प्रकरण संबंधित न्यायालय को प्रेषित करेंगे।
- (36) किसी मजिस्ट्रेट के अवकाश के दौरान संबंधित प्रभारी मजिस्ट्रेट, निराकरण योग्य संक्षिप्त विचारण प्रकरणों को ग्राह्य कर उनको स्वयं के न्यायालय में पंजीकृत कर उनका तत्काल विधिवत् निराकरण करेंगे।
- (38) यदि मृतक बंदी की मृत्यु दिनांक/पंचनामा बनाये जाने की दिनांक को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश की दशा/मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मृत्यु जांच/पंचनामा की कार्यवाही उनके प्रभार में कार्य का निष्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।
- (37) जैतपुर न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित आवश्यक कार्य अथवा उस न्यायालय से जारी स्थाई वारण्ट संबंधी प्रकरणों का निराकरण श्रृंखला न्यायालय जैतपुर के पीठासीन अधिकारी द्वारा ही किया जावेगा।
- (38) **आरक्षी केन्द्र जैतपुर** के क्षेत्राधिकार में उद्भूत या लंबित प्रकरण के संबंधित कार्य उक्त श्रृंखला न्यायालय जैतपुर की बैठक होने पर आवंटित किये गये पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जायेगा एवं तहसील न्यायालय जैतपुर की बैठक ना होने पर ऐसे अतिआवश्यक संबंधित कार्य की सुनवाई आवंटित थाना जैतपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तहसील न्यायालय बुढ़ार में सुना जायेगा तथा उनके अवकाश/प्रशिक्षण/स्थानांतरण होने की दशा में उपस्थित मजिस्ट्रेटगण द्वारा कार्य विभाजन आदेश के अनुसार उनके समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे।
- (39) पीठासीन अधिकारी के समक्ष तहसील न्यायालय बुढ़ार में सुना जायेगा तथा उनके अवकाश/स्थानांतरण होने की दशा में तहसील न्यायालय बुढ़ार में उपस्थित मजिस्ट्रेटगण द्वारा इस कार्य विभाजन आदेश के अनुसार उनके समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे।
- (40) इस आदेश के संबंध में किसी भी भ्रम या अस्पष्टता की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल को संदर्भित कर उसके संबंध में सुझाव/मार्गदर्शन लिया जाये।

यह नवीन आपराधिक कार्यविभाजन 2026 संबंधी आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील माना जायेगा।

अनुमोदनार्थ।

अनुमोदित
20.04.2026
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शहडोल (म.प्र.)

(प्रजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शहडोल (म.प्र.)
20/04/2026

प्रतिलिपि :-

- (1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सादर प्रेषित।
- (2) कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शहडोल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, जिला शहडोल।
- (4) श्रीमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शहडोल/ब्यौहारी/जयसिंहनगर/बुढ़ार जिला शहडोल की ओर प्रेषित।
- (5) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल/बुढ़ार/जयसिंहनगर/ब्यौहारी की ओर प्रेषित।
- (6) जिला कलेक्टर, शहडोल को सूचनार्थ प्रेषित।
- (7) पुलिस अधीक्षक, शहडोल की ओर संबंधित थानों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित।
- (8) जिला आबकारी अधिकारी, जिला शहडोल।
- (9) अभियोजन अधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय जिला शहडोल।
- (10) अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, शहडोल/बुढ़ार/जयसिंहनगर/ब्यौहारी।
- (11) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका शहडोल, धनपुरी, ब्यौहारी की ओर प्रेषित।
- (12) श्रम पदाधिकारी, श्रम विभाग शहडोल।
- (13) नियंत्रक, नापतौल विभाग शहडोल।
- (14) अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शहडोल।
- (15) उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी शहडोल।
- (16) क्षेत्रीय अधिकारी, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल म०प्र०।
- (17) वनमण्डलाधिकारी जिला शहडोल म०प्र० की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (18) जेल अधीक्षक, जिला जेल शहडोल, उपजेल बुढ़ार व मऊ की ओर प्रेषित।
- (19) सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, शहडोल को इस निर्देश के साथ कि दूरसंचार के माध्यम से उक्त आदेश संबंधित को प्रसारित करें।
- (20) प्रस्तुतकार न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल की ओर प्रेषित।


 (राजेंद्र सिंह सिंगार)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 शहडोल(म०प्र०)